न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1167 / 2024

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र रामकुमार जाति स्वामी निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. कृष्णा पत्नी सतवीर सिंह जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भीमराज पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. कुलवन्त सिंह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 15 / 40 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में से 63 / 5060 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 309 / 2530 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त विवादित भूमि कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोह के खाता स0 15 / 40 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में से 0.01083 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयक नोहर से दिनांक 04.11.2022 को रजिस्टर्ड है एवं उक्त भूमि में से 0.02530 हैक्ट भूमि वादीया स0 2 ने जरिये बैयनामा दिनांक 20.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 से खरीद की थी जो उप पंजीयक नोहर से दिनांक 20.01.2023 को रजिस्टर्ड है। रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता स0 15 / 40 के प0न0 317 / 379(40) के किला न0 16 की 0.2530 हैक्ट कुल तादादी 0.2530 हैक्ट भूमि में से 631 / 5060 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2022 को 0.01083 हैक्ट भूमि वादी स0 1 को बैचान कर दी इसी प्रकार से उक्त भूमि में से 309 / 2530 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खतोदार काश्तकार था प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि में जरिये बैयनामा दिनांक 20.01.2023 को 0.02530 हैक्ट भूमि का वादीया स0 2 को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज नही हुआ जिससे वादीगण के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए वादीगण रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 15 / 40 के प0न0 317 / 379(40) कि किला न0 16 की 0.2530 ... 631 / 5060 हिस्सा भूमि में से 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

01083 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 के व 309/2530 हिस्सा में से 0.02530 हैक्ट भूमि वादीया संख्या 2 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की मुताबिक बैयनामा वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 1 आरपीएम खाता स0 15/40 सम्वत 2070–73, चित्रपति बैयनामा दिनांक 20.01.2023 व दिनांक 04.11.2022 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त विवादित भूमि कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोह के खाता स0 15/40 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में से 0.01083 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयक नोहर से दिनांक 04.11.2022 को रजिस्टर्ड है एवं उक्त भूमि में से 0.02530 हैक्ट भूमि वादीया स0 2 ने जरिये बैयनामा दिनांक 20.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 से खरीद की थी जो उप पंजीयक नोहर से दिनांक 20.01.2023 को रजिस्टर्ड है। रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता स0 15/40 के प0न0 317/379(40) के किला न0 16 की 0.2530 हैक्ट कुल तादादी 0.2530 हैक्ट भूमि में से 631/5060 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2022 को 0.01083 हैक्ट भूमि वादी स0 1 को बैचान कर दी इसी प्रकार से उक्त भूमि में से 309/2530 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खतोदार काश्तकार था प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि में जरिये बैयनामा दिनांक 20.01.2023 को 0.02530 हैक्ट भूमि का वादीया स0 2 को बेचान कर दिया लेकिन [illegible] का वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज नही हुआ जिससे वादीगण के खातेदारी [illegible] रहा है। इसलिए वादीगण रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 15/40 व प0न0 317/379(40) कि किला न0 16 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.2530 हैक्ट भूमि में से 631/5060 हिस्सा भूमि में से 0.01083 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 के व 309/2530 हिस्सा में से 0.02530 हैक्ट भूमि वादीया संख्या 2 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 15/40 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में से 63/5060 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 309/2530 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त विवादित भूमि कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोह के खाता स0 15/40 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में से 0.01083 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयक नोहर से दिनांक 04.11.2022 को रजिस्टर्ड है एवं उक्त भूमि में से 0.02530 हैक्ट भूमि वादीया स0 2 ने जरिये बैयनामा दिनांक 20.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 से खरीद की थी जो उप पंजीयक नोहर से दिनांक 20.01.2023 को रजिस्टर्ड है। रोही मौजा 1 आरपीएम के खाता स0 15/40 के प0न0 317/379(40) के किला न0 16 की 0.2530 हैक्ट कुल तादादी 0.2530 हैक्ट भूमि में से 631/5060 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भमि में से जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2022 को 0.01083 हैक्ट भूमि वादी स0 1 को बैचान कर दी इसी प्रकार से उक्त भूमि में से 309/2530 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खतोदार काश्तकार था प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि में जरिये बैयनामा दिनांक 20.01.2023 को 0.02530 हैक्ट भूमि का वादीया स0 2 को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज नही हुआ है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामों के मुताबिक वादी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा दिनांक 04.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की थी जो उप पंजीयक नोहर से दिनांक 04.11.2022 को रजिस्टर्ड है एवं उक्त भूमि में से 0.02530 हैक्ट भूमि वादीया स0 2 ने जरिये बैयनामा दिनांक 20.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 से खरीद की थी जो उप पंजीयक नोहर से दिनांक 20.01.2023 को रजिस्टर्ड है।। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 15/40 के प0न0 317/379(40) कि किला न0 16 की 0.2530 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 631/5060 हिस्सा भूमि में से 0.01083 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 309/2530 हिस्सा में से 0.02530 हैक्ट भूमि का वादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1167/2024
अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र रामकुमार जाति स्वामी निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. कृष्णा पत्नी सतवीर सिंह जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. भीमराज पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. कुलवन्त सिंह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1167 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष.डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 15/40 के प0न0 317/379(40) कि किला न0 16 की 0.2530 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 631/5060 हिस्सा भूमि में से 0.01083 हैक्ट भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 309/2530 हिस्सा में से 0.02530 हैक्ट भूमि का वादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:56:03 IST
Reason: SelfAttested